29/10/2020

2018/00345

पत्रावली पेश हुई। तहसील चित्तौड़गढ़ से जारिए पत्रांक 1/राजस्व/2020/1157 दिनांक 02/9/2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इस न्यायालय के प्र.सं. 169/13 में दिनांक 22/5/2018 को पारित निर्णय के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील होकर दिनांक 16/01/2020 को निर्णय पारित हुआ जिसके अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22/05/2018 को अपास्त कर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण इस न्यायालय को भेजा गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, रेकर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि इस न्यायालय के प्र.सं. 169/2013 अनवान श्रीमती प्रेमकंवर बनाम रतनसिंह वगैरह में दिनांक 22/5/2018 को निर्णय पारित हुआ, जिसके विरुद्ध मा० न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील प्रस्तुत हुई। मा० न्यायालय RAA चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या डिक्री 12/2019 अनवान रतनसिंह बनाम श्रीमती प्रेमकंवर में दिनांक 16/01/2020 पारित निर्णयानुसार, इस न्यायालय का निर्णय अपास्त होकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ, जो न्यायालय हाजा में पुनः दर्ज होकर प्रकरण संख्या 64/2020 है, जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 09/11/2020 नियत है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण निर्णय/डिक्री दिनांक 22/5/2018 की पालना करने सम्बन्धी है, और उक्त निर्णय मा० न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपास्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही क्लोज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not

Digitally signed by Bishnoi
Date: 2020.11.03
Reason: SelfAttes

(श्याम [illegible])
सहायक [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)